	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
18	वकील पक्षकारान उप0। जवाब प्रा0 पत्र बहस हेतु समय चाहा। एक अवसर दिया जाता है। पत्रावली दि0 20.7.18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
18	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित अनावेदक नं 1 व 2 की ओर से जवाब पेश नहीं होने पर जवाब बंद किया जाता है। अना0 नं0 10 व 16 को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किये। बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अनावेदक वकील द्वारा दिनांक 13.3.18 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत फर्द मौका दि0 10.1.18 पर आवेदक वकील द्वारा जवाब पेश किया जा चुका है। अनावेदक वकील द्वारा तहसीलदार रिपोर्ट दि0 10.1.18 में आपत्ति पेश की, चूंकि न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.17 को सर्वे में मौका रिपोर्ट नायब तहसीलदार को स्वयं किया जाकर तहसीलदार को निर्देशित कर रिपोर्ट चाही गई थी जिस पर तहसीलदार नदबई द्वारा रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। अतः इस स्तर पर आपत्ति रिपोर्ट का कोई औचित्य नहीं रहता है। चूंकि प्रार्थना पत्र 2015 से विचाराधीन है। अतः वकील पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति किये जाने पर बहस मूल प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25.7.18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
18	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित आवेदकगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल	

Scanned by CamScanner

कार्यवाही विवरण

किया गया। पत्रावली फैसल हुकम होने तक्सीम के क्रम से तथा बाद तक्सीम कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25-7-18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: दुर्गाप्रसाद मीना
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 11/2015

1. हरफूल
2. मातुराम
3. महेन्द्र
4. नानूराम
5. श्योकरण
6. छोटूराम पुत्रान छाजूराम जाति जाट निवासीगण ग्राम जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—प्रार्थीगण

बनाम

1. लीलाधर
2. दलिप पुत्रान मामचन्द
3. श्याना पुत्री मामचन्द
4. झिमकोरीदेवी पत्नी मामाचन्द
5. श्रवणकुमार
6. गंगाधर
7. बीरबल पुत्रान फूलचन्द
8. मूलीदेवी पत्नी फूलचन्द
9. शिशपाल
10. महेन्द्र पुत्रान जालू
11. सुरेन्द्र
12. राकेश पुत्रान बुटीराम
13. सैतानसिंह
14. इन्द्राजसिंह
15. मूलचन्द .
16. रामभगत पुत्रान श्योकरण समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
17. बडौदा राज0 क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जाखल जरिये शाखा प्रबंधक
18. बडौदा राज0 क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अजाडीकला जरिये शाखा प्रबंधक
19. स्टेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अं.धारा 251—(क)
रा.का.अधिनियम
निर्णय

निर्णय तिथि 25.07.2018

आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदकगण की खातेदारी काश्त की भूमि खाता सं0 591 के अंतर्गत ख.न. 203/2.74, 1161/203/0.41 कुल किता 2 कुल रकबा 3.15 है0 वाके ग्राम जाखल की तन में स्थितं है तथा अनावेदकगण सं0 1 लगायत 16 की खातेदारी काश्त की भूमि खाता सं0 385 के अंतर्गत ख.न. 205/1.29, 217/3.72, 220/1.68, 242/0.06, 243/3.00 किता 5 कुल रकबा 9.75, है0 वाके ग्राम जाखल में स्थित है। अनावेदकगण नं. 1 लगायत 4 के पिता व पति मामचन्द का स्व0 हो चुका है परन्तु राजस्व रिकार्ड में कोई नामा0 दर्ज नही हुआ है। आवेदकगण के खेत ख.न. 203 व 1161/203 में आने जाने के लिये मौके पर कोई रास्ता नही है। आवेदकगण अपने खेत में

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

मकान बनाकर अपनी भूमि को सिंचित करते हैं जिसके कारण प्रार्थीगण को अपने खेत में काश्त करने में बडी कठिनाई का सामना करना पडता है। रास्ता नही होने की वजह से काश्त करने व सामान लाने लेजाने व अपने घर तक आने जाने में बडी परेशानी होती है। जबकि अनावेदकगण सं0 1 लगायत 16 की उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की जमीन में से ख.न. 205/2.19 है0 के दक्षिण दिशा में ख.न. 2018, 219 चारागाह गै0मु0जोहड राजस्व रिकार्ड की राजकीय भूमि स्थित है जिसमें कटानी रास्ता स्थित है तथा मौके पर चालू है। प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता भी मौजूद नही है तथा इस कटानी रास्ता के अलावा कोई अन्यं रास्ता भी नही है। आवेदकगण को अनावेदकगण के खेत ख.न. 205/1.29है0 की पूर्व दिशा की सींव के सहारे सहारे उत्तर दक्षिण लम्बा रास्ता नजरी नक्शा में लाल लाईन से जो दिखाया गया है के अनुसार 12 फीट चौडा रास्ता मिलने पर प्रार्थीगण के अपने खेत में आने जाने लाट बाट करने काश्त करने व आवेदकगण के बच्चे स्कूल में पढने आने में सहूलियत रहेगी तथा प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता भी है जो दिलवाया जाना न्योयोचित व न्यायसंगत है। उक्त सलग्न नजरी नक्शा में प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग समझा जावे तथा साथ पढा जावे। ऐसी हालत में प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। प्रार्थीगण को अनावेदकगण सं0 1 लगायत 16 के खेत ख.न. 205/1.29 है0 के पूर्व सींव के सहारे सहारे 12 फिट चौडा रास्ता मौके पर अनावेदकगण सं0 1 लगायत 16 द्वारा दिये जाने पर प्रार्थीगण अनावेदकगण सं0 1 लगायत 16 की जमीन की कीमत डीएलसी दर दुगुना देने को तैयार है या जमीन के बदले जमीन देने को तैयार है या माननीय न्यायालय द्वारा तय रकम देने को तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जावे तथा आवेदकगण को आने जाने हेतु सलग्न नजरी नक्शे में लाल लाईन से बताये गये अनुसार अनावेदकगण सं0 1 लगायत 16 की भूमि ख.न. 205/1.29 है0 के पूर्व सींव के सहारे सहारे 12 फीट चौडा रास्ता राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे तथा मौके पर रास्ता 12 फीट चौडा स्थापित करवाया जावे ताकि आवेदकगण के साथ न्याय हो सके। आवेदकगण न्यायालय के आदेशानुसार राशि वहन करने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनावेदकगण की गई। अनावेदकगण नं. 3, 4, 9 लगायत 19 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अनावेदक नं. 1 व 2 की और से सुनिल कुमार झांझोट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया परन्तु जबाब पेश नही होने के कारण जबाब का अवसर बंद किया गया। अनावेदकगण नं. 5 लगायत 8 की और से श्री किशोरकुमार प्रदीपकुमार झाझडिया का वकालतनामा पेश हुआ तथा अनावेदक नं. 5 लगायत 8 की और से जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि आराजी ख.न. 203/2.74, 1161/203/0.41 किता 2 कुल रकबा 3.15 है0 ग्राम जाखल में आवेदक की होना" तथा ख.न. 205/1.29, 217/3.72, 220/1.68, 242/0.06, 243/3.00 किता 5 कुल रकबा 9.75 है0 ग्राम जाखल में 1/6 हिस्सा मामचन्द पुत्र भींवा के नाम दर्ज है। मामचन्द का स्वर्गवास हो चुका है। मामचन्द के मृतक पुत्र चैतराम के उतरजीवियों को प्रार्थना पत्र में संयोजित नही किया गया है जो आवश्यक पक्षकार हैं। इसिलये आवश्यक पक्षकारा के अभाव में प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। आवेदकगण का कथन कतई स्वीक़ार नही है कि आवेदकगण के खेत ख.न. 203 व 1161/203 में आने जाने के लिए मौके पर कोई रास्ता नही है बल्कि आवेदकगण का आवागमन मौके पर हमेशा से ग्राम जाखल से सौंथली जाने वाले रास्ते से होकर ख.न. 190 में से होकर रहा है। सही तथ्य इस प्रकार है कि ख.न. 198 छाजूराम का है जो आवेदकगण की माता का हिस्सा होने का आवेदकगण ने माननीय न्यायालय को मुगालता देने के उद्धेश्य से वास्तविक तथ्यों को छुपाकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। आवेदकगण हमेशा से ग्राम जाखल से सौंथली जाने वाले रास्ते से ख.न. 190 में से अपने खेत ख.न. 198 में आते जाते हैं और उससे ख.न. 203 में प्रवेश करते रहे हैं, एवं सबसे निकटतम व कम दूरी का रास्ता भी यही है। उतरदाता की खातेदारी की भूमि ख.न. 205 रकबा 1.29 है0 के दक्षिण दिशा में ख.न. 218, 219 गै0 मु0 जोहड राजकीय भूमि में ख. न. 205 तक कोई कटानी रास्ता नही है एवं ख.न. 219 चारागाह (गै0मु0जोहड) में से आवेदकगण ने रास्ते की मांग नही की है और ख.न. 219 गै0मु0जोहड से रास्ता काटा भी नही जा सकता है। इसलिये

उप... अधिकारी
...लगढ

Scanned by CamScanner

आवेदकगण ने उत्तरदाता के खेत ख.न. 205 में से जो रास्ते की मांग की वह बिलकुल ही गलत की है। ख.न. 219 गै0 मु0 जोहड से ख.न. 205/1.29 है0 तक ना तो कोई कटानी रास्ता है और ना ही ख.न. 219 गै0मु0जोहड में से आवेदकगण ने रास्ते की मांग की है। ख.न. 219 गै0मु0जोहड में से ख.न. 205 रकबा 1.29 है0 तक रास्ते का कटान किये बिना ख.न. 205 की पूर्वी दिशा की सींव के सहारे सहारे रास्ता कायम करने का कोई औचित्य नही है और ना ही उक्त रास्ता निकटतम होगा। ख.न. 198/1.71 है0 आवेदकगण की माता किस्तुरी देवी पत्नी छाजूराम की हिस्सेदारी की है जो आवेदकगण की माता है आवेदकण उक्त जाखल से सौंथली जाने वाले रास्ते से ख.न. 190 में प्रवेश करके अपनी माता किस्तुरीदेवी के नाम की हिस्सेदारी की भूमि ख.न. 198 में प्रवेश करके ख.न. 1161/293 में से ख.न. 203 में हमेशा से आते जाते रहे हैं। उक्त रास्ता सबसे निकटतम व लघुतम रास्ता है। आवेदकगण ने माननीय न्यायालय में मुगालता देने के उद्धेश्य से वास्तविक तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारीज होने योग्य है।

उक्त भूमि ख.न. 205, 217, 220, 242, 243 में 1/6 हिस्सा मामचन्द पुत्र भींवा के नाम से दर्ज है मामचन्द पुत्र भींवा का स्वर्गवास हो गया है जिसके सभी उतरजीवियों को पक्षकार नही बनाया है। मामचन्द के मृतक पुत्र चेतराम के वारिसान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया है जो आवश्यक पक्षकार हैं आवश्यक पक्षकार के अभाव में प्रार्थना पत्र किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही है। भूमि ख.न. 205 के दक्षिण में आराजी ख.न. 219 गै0 मु0 जो0 की राजकीय भूमि है। इस गै0मु0जो0 की राजकीय भूमि में से ख.न. 205 तक कोई कटानी रास्ता मौजूद नही है ख.न. 219 गै0मु0जो0 राजकीय भूमि मे से न तो रास्ते की मांग की है और ना ही इस भूमि में से कानूनन रास्ते का कटान किया जा सकता है। आवेदकगण की भूमि ख.न. 203 रकबा 2.74 है0 में हमेशा से आना जाना ग्राम जाखल से सौंथली जाने वाले रास्ते से होकर ख.न. 190 में से होकर ख.न. 198 में प्रवेश करते हैं। ख.न. 198 रकबा 1.71 है0 में आवेदकगण की माता किस्तुरी देवी का 0.22 है0 है में से ख.न. 1162/196 मे से होकर रहा है। जो आज भी मौके पर चालू है इसप्रकार आवेदकगण को उक्त भूमि ख.न. 203 में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है इसके बावजूद भी आवेदकगण ने वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो कानूनन चलने योग्य नही है। ख.न. 198/1.71 में आवेदकगण की माता किस्तुरी देवी का हिस्सा 0.22 है0 जो ग्राम जाखल से सौंथली जाने वाली रास्ते के दक्षिण में स्थित ख.न. 190 के दक्षिण में स्थित है जिससे होकर ही आवेदकगण आते जाते रहे हैं तथा यही रास्ता सबसे निकटतम व लघुतम रास्ता है जिसका आवेदकगण ने वास्तविक व सही स्थिति व सही तथ्यों को छुपाकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। आवेदकगण के पास आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध होने के उपरांत भी राजकीय गै0मु0 जोहड की भूमि का नाजायज उपयोग करने एवं सुविधा बढाने की दृष्टि से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो राजस्थान काश्तकारी अधि0 के प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है।

उक्त संबंध में तहसीलदार नवलगढ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार नवलगढ द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 10.01.2018 प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार ख.न. 203/2.74 है0 वर्तमान में प्रार्थी हरफूल मातुराम महेन्द्र नानूराम श्योकरण छोटूराम पि0 छाजूराम के नाम दर्ज रिकार्ड है उक्त ख.न. के कहीं भी कोई रिकार्डेड रास्ता नही लगता। प्रार्थी ने ख.न. 205 रकबा 1.29 है जिसकी खातेदारी मामचन्द पुत्र भींवाराम श्रवणकुमार गंगाधर बीरबल पि0 फूलचन्द वगैरह के नाम दर्ज रिकार्ड है में से आने जाने के लिये रिकार्डेड रास्ते की मांग की है।ख.न. 205 से लगता हुआ ख.न. 1163/219 रकबा 0.45 है0 किस्म गै0 मु0जोहड है पूर्व में दिनांक 30.06.16 को नायब तहसीलदार नवलगढ द्वारा दी गई फर्द मौका रिपोर्ट में ख.न. 205 के सहारे सहारे पूर्वी सीमा के सहारे रास्ता प्रस्तावित किया गया था। यदि इस तरफ से रास्ता गै0 मु0 जोहड भूमि ख.न. 1163/219 तक दिया जाता है तो उसकी लम्बाई 65 मीटर होती है। प्रार्थी के ख.न. 203 के उतरी तरफ एक रिकार्डेड रास्ता गुजरता है जो जाखल से सौंथली जाता है प्रार्थी के खेत ख.न. 203 से इस रास्ते की दूरी 250 मीटर पडती है। चारागाह भूमि में से आवागमन हेतु रास्ता दिये जाने के संबंध में निवेदन किया गया कि चारागाह/गै0मु0 जोहड भूमि से रिकार्डेड रास्ता तो उपलब्ध नही करवाया जा सकता किन्तु तहसील क्षेत्र में सभी जगह इन किस्म भूमियों से प्रचलित रास्ते विद्यमान हैं जिसमें से कई डामरीकृत भी हैं। ख.न. 219 व 1163/219 में प्रचलन का रास्ता विद्यमान है जिसका उपयोग चारों

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

और के खातेदार उपयोग करते हुये रिकार्डेड रास्ते ख.न. 221/0.39 है0 किस्म गै0 मु0 रास्ते में प्रवेश करते हैं।

रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। बहस में वकील आवेदक द्वारा कथन किया कि ख.न. 203 में आवेदक मकान बनाकर निवास कर रहा है जिसके लिये आवागमन का रास्ता ख.न. 218 व 219 गै0मु0 जोहड से होता हुआ ख.न. 205 में से है इसी रास्ते से अनावेदकगण भी आवागमन करते हैं। ख.न. 218 में स्कूल भी बनी हुई है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ख.न. 205 में से 12 फीट चौडा रास्ता दिया जावे। बहस में अनावेदकगण द्वारा कथन किया कि ख.न. 203 के दक्षिण में स्थित भूमि ख.न. 205 में से 203 से ख.न. 1163/219 तक की लम्बाई 65 मीटर अंकित की है परन्तु फर्द मौका में ख.न. 205 से ख.न. 1163/219 व ख.न. 219 में प्रवेश करने वाले रास्ते ख.न. 221 तक की लम्बाई दर्ज नही की है आवेदकगण ख.न. 1163/219 व 219 गै0 मु0 जोहड में से कहां से कहां जायेगा का उल्लेख नही किया है। गै0मु0 जोहड में से रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नही करवाया जा सकता। ख.न. 219 व ख.न. 1163/219 में प्रचलन का रास्ता विद्यमान है जिसका चारों और के खातेदार उपभोग करते हैं परन्तु फर्द में यह दर्ज नही किया है कि उक्त गै0मु0जोहड में से कितने प्रचलन के रास्ते विद्यमान हैं और कहां से कहां तक जाते हैं उक्त जोहड में प्रचलित रास्तों का कौन कोन खातेदार उपभोग करते हैं। आगे कथन किया कि आवेदकगण के ख.न. 203 में पहुंच हेतु उतर दिशा में रास्ता पडता है जिसके बीच में ख.न. 298 पडता है जिसमें आवेदकगण की मां का भी हिस्सा है अतः आवेदक को उतर दिशा से रास्ते की मांग करनी चाहिये थी। उक्त उतर दिशा का रास्ता आवेदकगण के लिये सुगम है अतः आवेदकगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

बहस तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम जाख़ल संवत 2067 से 2070 के अनुसार भूमि ख.न. 203/2.74, 1161/203/0.41 किता 2 कुल रकबा 3.15 है0 की खातेदारी हरफूल मातुराम महेन्द्र नानूराम श्योकरण छोटूराम पि0 छाजूराम कौम जाट सा.देह खातेदार मातुराम महेन्द्र नानूराम छोटूराम पुत्र छाजूराम हि0 2/3 रहन झु. स.भूमि वि0बैंक नवलगढ मूर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी संवत 2067 से 2070 के अनुसार भूमि ख.न. 205/1.29, 217/3.72, 220/1.68, 242/0.06, 243/3.00 किता 5 कुल रकबा 9.75 है0 की खातेदारी मामचन्द पुत्र भीवाराम हि0 1/6 श्रवणकुमार गंगाधर बीरबल पि0 फूलचन्द मूली पत्नी स्व0 फूलचन्द हि0 1/6 सुल्तान शिशपाल महेन्द्रसिह पिता जालू हि0 1/3 सुरेन्द्र राकेश पि0 बूटीराम सैतानसिंह इन्द्राजसिंह मूलचन्द रामभगत पि0 श्योकरण हि0 1/3 कोम जाट सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। तथा इसके आगे नोट अंकित किया गया है कि नामा0सं0 1270 नि.दि. 06.04.2011 विरासत सुल्तान फोत के स्थान पर विनोददेवी पत्नी स्व0 सुल्तान हि0 1/9 स्वीकार। नामा0सं0 1541 नि.दि. 20.02.2014 हकत्याग ख.न. 205/1.29, 217/3.72, 220/1.68, 242/0.06, 243/3.00 किता 5 कुल रकबा 9.75 है0 में विनोददेवी पत्नी सुल्तान कौम जाट हि0 1/9 सा.देह खातेदार के स्थान पर शिशपाल महेन्द्रसिंह पि0 जालू जाति जाट हि0 1/9 सा.देह खातेदार स्वीकार शेष बदस्तूर दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 10.01.2018 को अवलोकन किया जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया है कि ख.न. 1163/219 व 219 गै0मु0 जोहड की भूमि है उक्त गै0मु0 जोहड की भूमि से रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नही करवाया जा सकता किन्तु तहसील क्षेत्र में सभी जगह इन किस्म की भूमियों में से प्रचलित रास्ते विद्यमान है जिसमें से कई डामरीकृत भी हैं। ख.न. 219 व 1163/219 में प्रचलन का रास्ता विद्यमान है जिसका उपयोग चारों और के खातेदार करते हैं तथा रिकार्डेड रास्ता ख.न. 221 में प्रवेश करते हैं। अतः उक्त प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि, ख.न. 203 हेतु रास्ते की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नही है। ख.न. 203 के उतर दिशा की तरफ रिकार्डेड रास्ते की दूरी तहसीलदार रिपोर्ट में 250 मीटर बताई गई है तथा आवागमन हेतु कोई रास्ते का उल्लेख नही है। जबकि दक्षिण दिशा में ख.न. 219 व 1163/219 में प्रचलित रास्ते से होते हुये ख.न. 205 की दूरी 65 मीटर बताई गई है। चूंकि ख.न. 1163/219 व 219 किस्म गै0 मु0 जोहड से रिकार्डेड रास्ता तो नही दिया जा सकता लेकिन तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार मौके पर उक्त खसरा नम्बरान से खातेदारान द्वारा प्रचलित रास्तों का उपयोग किया जा रहा है। अतः ख.न. 219 व 1163/219 प्रचलित रास्ते से ख.न. 205 में से होते

उप खण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

हुये प्रार्थी आवेदक के खेत की पहूंच के लिये सोर्टेस्ट रास्ता है। अतः आवेदकगण को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता होने व अन्य कोई वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था न होने के कारण ख.न. 205 की पूर्वी दिशा के सहारे सहारे 65 मीटर लम्बा व 12 फीट चौडा रास्ता आवागमन हेतु दिया जाना न्यायोचित है। अतः आवेदकगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

आवेदकगण कां प्रार्थना पत्र तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 10.01.2018 स्वीकार किया जाता है। ग्राम जाखल की भूमि ख.न. 203 में आवागमन हेतु भूमि ख.न. 205 की पूर्वी सीमा से लगता हुआ 12फुट चौडा तथा 65 मीटर लम्बा गै0मु0 रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ मुताबिक आदेश रास्ते से प्रभावित भूमि की डीएलसी की दो गुणा राशि जमा होने पर प्रभावित भूमि को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता (सिवाय चक) दर्ज करें। डीएलसी दर की दोगुनी राशि अनावेदकगण को रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार दिलाई जावे। अनावेदकगण द्वारा राशि प्राप्त न करने पर राजकोष में अमानत मद में जमा करवाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 25.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ